सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 354 राँची ,शनिवार 11 श्रावण 1936 (श०)

2 अगस्त, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

1 अगस्त, 2014

1. सचिव, पर्यटन विभाग, झारखण्ड के पत्रांक- 576/स0को0, दिनांक 28 अक्टूबर, 2009; पत्रांक-1622, दिनांक-21 अक्टूबर, 2010; पत्रांक-90, दिनांक-17 जनवरी, 2014 एवं पत्रांक-796, दिनांक-29 अप्रैल, 2013

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-3397, दिनांक-9 जून, 2010 एवं पत्रांक-812, दिनांक-30 जनवरी, 2012

संख्या-5/आरोप-1-20/2014 का.- 7669--श्री अब्राहम रौना, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक- 162/03, गृह जिला- राँची), तदेन प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि0, राँची के पद पर कार्यावधि से संबंधित सचिव, पर्यटन विभाग, झारखण्ड के पत्रांक- 576/स0को0, दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप प्रतिवेदित है।

प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप लगाये गये हैं:-

1. श्री रौना के कार्य कलापों की समय-समय पर समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि उनके द्वारा झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि0 के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में कोई तत्परता नहीं

बरती जा रही है और न ही इनके द्वारा निगम के समक्ष उत्पन्न किसी कठिनाई के निराकरण के संबंध में कोई ठोस कार्रवाई की जाती है। कई बार विभाग में श्री रौना आमंत्रित करने के बावजूद उपस्थित नहीं हुए हैं।

2. समय-समय पर यह पाया जाता है कि श्री रोना अपने मोबाईल फोन पर भी संपर्क करने की स्थिति में नहीं होते हैं और न ही कॉल बैक करते हैं।

3. विभागीय पत्रांक 1278, दिनांक 25 मई, 2009 के द्वारा श्री रौना से झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के विगत तीन वर्षों के कार्यकलापों एवं बरती गई अनियमितताओं के संबंध में दिनांक 15 जून, 2009 तक प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेषित किया गया था, जो अप्राप्त रहा। पुनः विभागीय पत्रांक-473, दिनांक 10 अगस्त, 2009 के द्वारा दिनांक 17 अगस्त, 2009 तक प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेष दिए जाने के बावजूद दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 तक प्रासंगिक प्रतिवेदन अप्राप्त है।

4. निगम में कमजोर प्रशासनिक तंत्र को दृष्टिगत रखते हुए निगम की निदेशक पर्षद द्वारा बाह्य श्रोत से संविदा के आधार पर कतिपय कर्मियों की सेवाएँ प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था, जिसके अनुपालन की दिशा में श्री रौना के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। इस क्रम में विभागीय स्तर से विज्ञापन का प्रारूप तैयार कर निगम के माध्यम से प्रकाशित कराया गया, जिसके आलोक में इच्छुक आवेदकों के साक्षात्कार हेतु दिनांक 8 एवं 9 अगस्त, 2009 को तिथि निर्धारित करने हेतु श्री रौना को सूचित किया गया। श्री रौना को यह भी निदेशित किया गया कि आवश्यकतानुसार वे रोस्टर क्लियरेन्स कराते हुए अग्रेतर कार्रवाई करें, किन्तु श्री रौना के स्तर से इस संबंध में आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके फलस्वरूप झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि0 का कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है तथा निगम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है। श्री रौना से उनके उपर्युक्त आचरण के संबंध में दिनांक-6 अगस्त, 2009 तक स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया था, जो दिनांक-26 अक्टूबर, 2009 तक अप्राप्त है।

5. विभाग द्वारा देवघर जिले के त्रिकुट पर्वत पर स्थापित किए गए रोप-वे, जिसका संचालन झारखण्ड पर्यटन विकास लि0 को सौंपा गया है, के चालू करने एवं उसके दैनिक संचालन में भी श्री रौना द्वारा कोई रूचि नहीं ली जा रही है, जो उनके स्तर से पदाधिकारी के आचरण के प्रतिकूल है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 13 अक्टूबर, 2009 से दिनांक 25 अक्टूबर, 2009 तक पर्यटन विकास एवं निगम राजस्व के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्त्वपूर्ण यह रोप-वे बंद है, किन्तु श्री रौना के द्वारा इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, जिसके फलस्वरूप जहाँ एक ओर पर्यटन विकास प्रभावित हुआ है, वहीं

दूसरी ओर निगम को दिनांक 25 अक्टूबर, 2009 तक लगभग 3.90 लाख रूपये की आर्थिक क्षति हुई है।

6. झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि0 के द्वारा कतिपय निर्माण कार्य विभागीय तौर पर कराए जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर श्री रौना को ऐसे कार्यों हेतु भविष्य में कोई अग्रिम न देते हुए पूर्व में दी गई राशि का समायोजन करने हेतु निदेशित किया गया तथा ऐसे समस्त कार्यों की पूर्ण विवरणी दिनांक 25 अगस्त, 2009 तक माँगी गयी थी, जो दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 तक अप्राप्त है।

7. विभागीय आवंटन आदेश सं0-259, दिनांक-20 मार्च, 2009 के द्वारा निदेशक, पर्यटन को चयनित पर्यटक स्थलों पर हाई मास्ट लाईट एवं अन्य प्रकाश के व्यवस्था हेतु कुल 66,19,991.00रू0 का आवंटन किया गया था तथा उक्त राशि की निकासी कर झारखण्डर पर्यटन विकास निगम के पी0एल0 खाता में जमा करने का निदेश दिया गया थ। विभागीय कार्यादेश सं0-270, दिनांक 5 फरवरी, 2009 के द्वारा M/s Riangdo Veneers(P) Ltd., Guwahati को चयनित पर्यटक स्थलों पर हाई मास्ट लाईट एवं अन्य प्रकाश व्यवस्था हेतु कार्यादेश निर्गत किया गया था। प्रासंगिक फर्म द्वारा कराये गये कार्य से संतुष्ट होने के उपरांत विभाग द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में ही फर्म को भुगतान किया जाना था। परंतु प्राप्त जानकारी के अनुसार बिना विभाग की अनुमति एवं प्राधिकार प्राप्त किये श्री अब्राहम रौना, प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि0 के द्वारा प्रासंगिक फर्म को 58,73,860.00रू0 का भुगतान कर दिया गया है, जो स्पष्ट रूप से वित्तीय अनियमितता का मामला है।

8. झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि0 को विभाग द्वारा राँची जिले के चयनित पर्यटन स्थलों पर स्वयंसेवी संस्थओं के माध्यम से पर्यटक सुविधाएँ उपलब्ध कराने की योजना के तहत् स्थानीय युवाओं की सेवाएँ प्राप्त करते हुए पर्यटक सुविधावों से संबंधित कार्य कराने के एवज में उन्हें पारिश्रमिक एवं उपकरण आदि हेतु आवंटन उपलब्ध कराया गया था। प्राप्त सूचना अनुसार श्री अब्राहम रौना, प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि0 के द्वारा काँके डैम पर्यटक स्थल के विद्युत विपत्र का भुगतान प्रासंगिक राशि से कर दिया गया है, जो निश्चित रूप से वित्तीय अनियमितता का मामला परिलक्षित होता है। इस क्रम में श्री रौना के द्वारा प्रसंगाधीन समिति के साथ किए गए एकरारनामा की शर्तों के अनुपालन की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं रहने के फलस्वरूप वित्तीय अनियमितता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

9. विभागीय आदेश सं॰ 2096, दिनांक 3 सितम्बर, 2009 द्वारा झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि॰ द्वारा कराए जा रहे सिविल निर्माण कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की वास्तविक स्थिति का जायजा लेने तथा कराए जा रहे कार्यों की गुणवत्ता बरकरार रखने तथा इन्हें संपन्न कराने

आदि बिन्दुओं पर प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु विभागीय जाँच समिति का श्री अब्राहम रौना, प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में गठन किया गया था तथा यह स्पष्ट निदेश दिया गया था कि गठित समिति सभी स्थलों का दौरा करते हुए कार्यान्वयनाधीन योजनाओं को विभिन्न कोणों से फोटोग्राफी आदि करेगी तथा योजना अभिलेखों, मापी पुस्तिका इत्यादि की जाँच करते हुए इन योजनाओं को शीघ्र संपन्न कराने हेतु अपना सुस्पष्ट प्रतिवेदन दिनांक 20 सितम्बर, 2009 तक समर्पित करेगी। उक्त आदेश के बावजूद दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 तक श्री रौना द्वारा कोई प्रतिवेदन विभाग को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उक्त आरोपों पर श्री रौना से प्राप्त स्पष्टीकरण पर सचिव, पर्यटन विभाग, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्त किया गया, जिसमें उन्होंने श्री रौना के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों में से आरोप सं0-3, 8 एवं 9 को प्रमाणित पाया। विभागीय पत्रांक-812, दिनांक-30 जनवरी, 2012 द्वारा उक्त प्रमाणित आरोपों में सरकार को हुई वित्तीय क्षति का आकलन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

पर्यटन विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-90, दिनांक-17 जनवरी, 2014 एवं पत्रांक-796, दिनांक-29 अप्रैल, 2013 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि प्रमाणित आरोपों में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता सन्निहित प्रतीत नहीं होती है।

श्री रौना के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं इनके स्पष्टीकरण पर सचिव, पर्यटन विभाग, झारखण्ड के मंतव्य के समीक्षोपरांत श्री रौना के विरूद्ध प्रपत्र-'क' में प्राप्त आरोप-पत्र को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 354–50 ।